फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री श्यामलाल **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 206/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.08.2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। वादीगण द्वारा वाद को स्वीकार कर डिक्री किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा लखमा पिता कालु व लखमा पिता नारू एक ही व्यक्ति होना बताकर वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादीगण के मौरूस लखमा जी के नाम दर्ज हैं। वादीगण के मौरूस लखमा जी अपने प्राकृतिक पिता नारू जी की सन्तान थें। इस दौरान उन्होने वाद के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने पर उक्त भूमि लखमा पिता नारू की हैसियत से जमाबन्दी में दर्ज हुई। नारू जी के भाई कालिया के कोई औलाद नहीं होने से नारू जी के पुत्र लखमा को कालिया द्वारा गोद लिया गया, जिसमें कालिया के मरने के पश्चात् भूमि लखमा पिता कालिया के नाम से विरासत के आधार पर दर्ज हुई। लखमा जी की मृत्यु हो चुकी हैं। वादीगण लखमा जी के विधिक वारिस हैं। वाद वर्णित आराजीयात लखमा पिता नारू व लखमा पिता कालु होने से विरासत के आधार पर वादीगण के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से वादीगण द्वारा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर लखमा पिता नारू व लखमा पिता कालिया को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री श्यामलाल पिता लखमा का पेश कर दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 व 2, विक्रय पत्र की नकल प्रदर्श 3ए, भू.अ. निरीक्षक थामला की रिपोर्ट की नकल प्रदर्श 4, मिलान खसरा प्रदर्श 5, जमाबन्दी बन्दोबस्त प्रदर्श 6 पेश किये।

वादीगण द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगण के मौरूस लखमा पिता नारू व लखमा पिता कालिया एक ही व्यक्ति होना जाहिर आया हैं तहसीलदार मावली द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की हैं। चूंकि खातेदार लखमा फौत हो चुका है, जिसके विधिक वारिस वादी सं. 1 से 9 है। खातेदार लखमा फौत होने से लखमा के नाम दर्ज भूमि को वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा कालानाडा पटवार हल्का थामला की आराजी नम्बर 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 किता 11 रकबा 2.5657 हेक्टेयर भूमि में खातेदार लखमा पिता नारू के बजाय वादीगण को हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं इसी प्रकार आराजी नम्बर 5801/725, 707, 708, 709, 710, 711, 727 किता 7 रकबा 2.0235 हेक्टेयर भूमि में खातेदार लखमा पिता कालिया के बजाय वादीगण को हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.18 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 206/21 (वाद) GCMS No. : 2021/485

उनवान

1. श्री श्यामलाल पिता लखमा भील निवासी कालानाडा थामला तह. मावली।
2. श्री महेन्द्र पिता मांगीलाल भील निवासी कालानाडा थामला तह. मावली।
3. श्री राजकुमार पिता मांगीलाल भील निवासी कालानाडा थामला तह. मावली।
4. श्री पुष्करलाल पिता जमनालाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता लक्ष्मीबाई पत्नी जमनालाल भील निवासी कालानाडा थामला तह. मावली।
5. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी जमनालाल भील निवासी कालानाडा थामला तह. मावली।
6. श्री ओमप्रकाश पिता मांगीलाल भील संरक्षक माता मांगीबाई पत्नी मांगीलाल भील निवासी कालानाडा थामला तह. मावली।
7. श्री रोशनलाल पिता लखमा भील निवासी कालानाडा थामला तह. मावली।
8. श्री बंशीलाल पिता लखमा भील निवासी कालानाडा थामला तह. मावली।
9. श्रीमती मांगीबाई पत्नी मांगीलाल भील निवासी कालानाडा थामला तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का थामला तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा कालानाडा पटवार हल्का थामला की आराजी नम्बर 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 किता 11 रकबा 2.5657 हेक्टेयर भूमि में खातेदार लखमा पिता नारू के बजाय वादीगण को हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं इसी प्रकार आराजी नम्बर 5801/725, 707, 708, 709, 710, 711, 727 किता 7 रकबा 2.0235 हेक्टेयर भूमि में खातेदार लखमा पिता कालिया के बजाय वादीगण को हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.08.2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.18 16:34:01 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली